

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक

क्रमांक /192/2018/12/2:- मेसर्स ओ.सी.एल. इंडिया लिमिटेड के पक्ष में मंडला जिले के ग्राम मुगदरा के रकबा 19.223 हेक्टेयर क्षेत्र पर अवधि दिनांक 24.05.2024 तक खनिज डोलोमाईट का खनिपट्टा अनुबंधित है। मेसर्स ओ.सी.एल. लिमिटेड द्वारा दिनांक 08.05.2018 को यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि, मेसर्स ओ.सी.एल. लिमिटेड का मर्जर मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड में हो गया है। इसके संबंध में उनके द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 20.04.2018 की प्रति प्रस्तुत की गई है। मेसर्स ओ.सी.एल. इंडिया लिमिटेड, डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड की सहायक कंपनी है। अतः खनिपट्टा अनुबंध में मेसर्स ओ.सी.एल. इंडिया लिमिटेड के नाम के स्थान पर मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड का नाम किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जे०पी० श्रीवास्तव)

अवर सचिव

म०प्र० शासन, खनिज साधन विभाग

पृष्ठ. क्रमांक 3290/192/2018/12/2

भोपाल, दिनांक:- 18/07/2018

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला - मंडला, (म०प्र०)।
3. मेसर्स ओ.सी.एल. इंडिया लिमिटेड / मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, हंसालय बिल्डिंग, 15, बाराखंबा रोड़, नई दिल्ली - 110 001
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर, म०प्र०।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

म०प्र० शासन, खनिज साधन विभाग